

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 75/2019/दावा

1. शंकरलाल पुत्र श्री दीपाराम जाति बलाई निवासी उमाड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
—वादी

ब न म

1. राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड संशोधन


उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सैं।

नि र्ण य


दिनांक — 13.12.2019

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 453 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 454 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 458 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 461 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 462 रकबा 2.13 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.03 है0 किता 13 कुल रकबा 6.65 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 1006 रकबा 0.81 है0, ख0नं0 1007 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 1008 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 1009 रकबा 4.32 है0, ख0नं0 1009/1172 रकबा 0.01 है0 किता 6 कुल रकबा 7.78 है0 तन ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम जगदीश पुत्र दीपाराम जाति बलाई के नाम सैं दर्ज है जबकि वादी का सही नाम शंकरलाल है जो पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, ग्राम पंचायत उमाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि सैं प्रमाणित है। शंकरलाल पुत्र दीपाराम तथा जगदीश पुत्र दीपाराम एक ही व्यक्ति के नाम है जो संशोधन योग्य है। वादी द्वारा तहसील कार्यालय जाकर उक्त दुरुस्ती हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा मना करने पर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमियों खसरा नम्बर 452 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 453 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 454 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.53 है0,


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ


ख०नं० 457 रकबा 0.62 है०, ख०नं० 458 रकबा 0.73 है०, ख०नं० 459 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 460 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 461 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 462 रकबा 2.13 है०, ख०नं० 463 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 464 रकबा 0.03 है० किता 13 कुल रकबा 6.65 है० व भूमि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.75 है०, ख०नं० 1006 रकबा 0.81 है०, ख०नं० 1007 रकबा 0.96 है०, ख०नं० 1008 रकबा 0.93 है०, ख०नं० 1009 रकबा 4.32 है०, ख०नं० 1009/1172 रकबा 0.01 है० किता 6 कुल रकबा 7.78 है० तन ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम जगदीश के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम शंकरलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन के आदेश दिये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी ने शपथ पत्र पेश किये। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई।
3. वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों पर गौर किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि वी का नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर शंकरलाल पुत्र दीपाराम किया जाना उचित है। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य पहचान दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त कर जगदीश पुत्र दीपाराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र दीपाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 0.32 है०, ख०नं० 453 रकबा 1.10 है०, ख०नं० 454 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 455 रकबा 0.51 है०, ख०नं० 456 रकबा 0.53 है०, ख०नं० 457 रकबा 0.62 है०, ख०नं० 458 रकबा 0.73 है०, ख०नं० 459 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 460 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 461 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 462 रकबा 2.13 है०, ख०नं० 463 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 464 रकबा 0.03 है० किता 13 कुल रकबा 6.65 है० व भूमि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.75 है०, ख०नं० 1006 रकबा 0.81 है०, ख०नं० 1007 रकबा 0.96 है०, ख०नं० 1008 रकबा 0.93 है०, ख०नं० 1009 रकबा 4.32 है०, ख०नं० 1009/1172 रकबा 0.01 है० किता 6 कुल रकबा 7.78 है० हैक्टर में खातेदार का नाम जगदीश पुत्र दीपाराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र दीपाराम दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरुस्ती के आदेश दिये


अधिकारी, दांतारामगढ

जाते है। शेष जमाबंदी वदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

शंकरलाल

बनाम

राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 75/दावा सन् 2019

कब

निर्णय दिनांक. 13.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 0.32 है०, ख०नं० 453 रकबा 1.10 है०, ख०नं० 454 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 455 रकबा 0.51 है०, ख०नं० 456 रकबा 0.53 है०, ख०नं० 457 रकबा 0.62 है०, ख०नं० 458 रकबा 0.73 है०, ख०नं० 459 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 460 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 461 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 462 रकबा 2.13 है०, ख०नं० 463 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 464 रकबा 0.03 है० किता 13 कुल रकबा 6.65 है० व भूमि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.75 है०, ख०नं० 1006 रकबा 0.81 है०, ख०नं० 1007 रकबा 0.96 है०, ख०नं० 1008 रकबा 0.93 है०, ख०नं० 1009 रकबा 4.32 है०, ख०नं० 1009/1172 रकबा 0.01 है० किता 6 कुल रकबा 7.78 हैक्टेयर में खातेदार जगदीश पुत्र दीपाराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र दीपाराम दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं।


उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दाई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर ..		
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतासगढ

